न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 142/20 (धारा 76 भू राजस्व अधि0 1956) (RCMS No.2020/000142)

जवाहर सिंह पुत्र पीता, जाति जाट, निवासी थैरावर, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.............अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

..............रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर मु0नं0 10/2016 जवाहर सिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 16.9.2016 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री महाराज सिंह डागुर वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः– 26.6.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.9.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर ने आदेश दिनांक 11.1.2006 से अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 684 रकबा 0.61 है0 में से रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन मरघट वाकै ग्राम थैरावर तहसील कुम्हेर पर अतिक्रमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्ट को वेदखल किया जाकर विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। जिसकी अपील तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.9.2016 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा तहसीलदार भरतपुर का निर्णय 11.1.2016 यथावत रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि दोनों अदालत मातहत तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 11.01.2016 व अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 15.09.2016 विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। आराजी खसरा नम्बर 684/0.61 में 57 ऐयर भू–भाग अपीलार्थी एवं उसके अन्य हिस्सेदार की पुश्तैनी खेवट एवं मिलकीयत की आराजी है जिस पर उन्हें मालिकाना अधिकार प्राप्त है। सम्वत् 2011 की जमाबन्दी में उक्त भूमि आबादी दर्ज है तथा पुश्तैनी खेवट के रूप में

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर
26.6.2023

अपीलान्ट को मालिकाना हक पूर्वजों के समय से ही प्राप्त है। कृषि व आबादी भूमि का विभेद वर्ष 1958 में किया गया है। हाल खसरा नंबर 684 रकबा 0.61 एयर साबिक खसरा नंबर 1294 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा तथा एक अन्य खसरा नंबर से बना है। खसरा नंबर 1294 की किस्म गैर मुमकिन आबादी है तथा आबादी भूमि धारा 5(24) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 103 (बी) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अनुसार "भूमि" की परिभाषा में नहीं आती है। Land which is used for agriculture purpose of purpose subservient there to but exccluding abadi land. इस आधार पर आबादी भूमि में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित भूमि को सैटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में मरघट भूमि दर्ज किया गया है, जो कि क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण अवैध व शून्य प्रभाव लिए हुए है। अपीलान्ट की ओर से इस संबंध में सिविल न्यायालय व राजस्व न्यायालय में वाद दायर किए जाने के संबंध में अदालत मातहत में रिकार्ड भी प्रस्तुत किया गया था, परन्तु तहसीलदार कुम्हेर द्वारा सैटलमेन्ट की ओर से बनाए गए गलत रिकार्ड के आधार पर अपीलान्ट को विवादित भूमि पर अतिक्रमी मानकर बेदखल किए जाने की कार्यवाही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.01.2016 के द्वारा की गई है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को भी अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 15.09.2016 के द्वारा गलत रूप से खारिज किया है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा साबिक खसरा नंबर 1294 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा और 1295 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 684 रकबा 0.61 हैक्टेयर बनाया है तथा सम्पूर्ण खसरा नंबर को ही गैर–मुमकिन मरघट दर्ज किया है, जो कि मौके की स्थिति के विपरित है। इस खसरा नंबर में से 57 ऐयर भू भाग अपीलार्थी की खातेदारी का है। इस भूमि की किस्म सैटलमेन्ट से पूर्व आबादी (गैत) भूखण्ड थी, जिसकी किस्म गैर आबादी से गैर मुमकिन मरघट भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गलत अंकित कर दी गई, जबकि भू प्रबन्ध विभाग को गत प्रविष्टयों को बदलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त किस्म परिवर्तन केवल राज्य सरकार ही कर सकती है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया किस्म परिवर्तन शून्य प्रभाव लिए हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने फिर भी विवादित भूमि को मरघट की भूमि मानकर खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। प्रथम अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस पर गौर नहीं किया है और ना ही कोई साक्ष्य आदि ली है समस्त कार्य अत्यन्त जल्दबाजी में किया गया है और अब नाजायज रूप से अपीलार्थी के कब्जे को हटाने की कोशिश में है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित आराजी अपीलार्थी की पुश्तैनी आबादी भूमि है,, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। प्रथम अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं ली तथा मौका रिपोर्ट भी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनायी है मौके पर कोई मरघट नहीं है। मरघट की भूमि विवादित भूखण्ड से अलग है जिसकी पक्की चार दीवारी बनी है जो ग्राम पंचायत द्वारा बनायी गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त बिन्दुओं पर गौर नहीं किया और न ही पटवारी हल्का के बयान लिए। अपीलान्ट को कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश कतई जल्बाजी में दिया गया आदेश है। इस संबंध में यह भी

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उल्लेखनीय है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में नियमित वाद सिविल एवं राजस्व न्यायालय दोनों के समक्ष विचाराधीन है जिनमें दोनों में ही अपील के स्तर पर उत्तरवादी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने माननीय उच्च न्यायालयों के आदेशों को नहीं मानकर खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। चूंकि विचारण न्यायालय का आदेश अधिकार क्षेत्र के वाहर है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश भी क्षेत्राधिकार के वाहर माना जावेगा। विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय व राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपीलान्ट की ओर से विचारण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय ने समस्त रिकार्ड व दस्तावेजात पेश किए गए थे, परन्तु इन्हें नजरअंदाज कर दोनों न्यायालयों द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.9.2016 एवं तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.1.2016 निरस्त किये जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.01.2016 एवं 15.09.2016 रिकार्ड एवं तथ्यों पर आधारित होने के कारण उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का उसरानी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 684/0.61 है0 किस्म गै0मु0 मरघट वाकै ग्राम थैरावर में से 0.02 है0 पर कडबी रखकर व नींव खोद कर अपीलान्ट जवाहर सिंह द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार कुम्हेर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई है, क्योंकि परीक्षण न्यायालय का सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण रोकने का दायित्व है। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा नियमानुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया और अपीलान्ट पर नोटिस की तामील हुई वह मय वकील उपस्थित भी हुआ है। जबाब भी पेश किया गया किन्तु इस अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई यथोचित साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये। विवादित आराजी गै0मु0 मरघट है जिस पर मौका एवं रिकार्ड के अनुसार कोई अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं रहता है लिहाजा परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.1.2016 से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करते हुये नियमानुसार पैनल्टी राशि आरोपित की गई। अपीलान्ट ने इस आदेश की अपील तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष पेश की गई । जिसमें उनके द्वारा तथ्यों और मौका रिकार्ड का अवलोकन करते हुये विधि संगत आदेश पारित किया है चूंकि न तो परीक्षण न्यायालय में और ना ही तहत अदालत में और ना ही इस अदालत में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया जिससे अपीलान्ट के अतिक्रमण को वैद्य माना जा सके। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.9.2016 को आदेश पारित किया है। चूंकि अतिक्रमित भूमि गैर मुमकिन मरघट है और उस पर अपीलान्ट का अवैध अतिक्रमण सिद्ध हुआ है लिहाजा परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 11.1.2016 की पुष्टि की गई है। अपीलान्ट का यह कहना कि राजस्व व सिविल न्यायालयों में वाद विचाराधीन है, इस आधार पर किसी प्रकार का कोई रिलिफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह राजस्व रिकार्ड

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

से स्पष्ट हो चुका है कि अतिक्रमित भूमि गै0मु0 मरघट है और इसके अलावा किसी सक्षम न्यायालय का यदि कोई स्थगन उसके हक में पारित हुआ है तो वह तीनों अदालतों में से किसी एक अदालत के समक्ष पेश कर सकता था, परन्तु अपीलान्ट द्वारा इस तरह का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वरन् अपीलान्ट केवल अतिक्रमण को बनाये रखने की गरज से वे वजह बेबुनियाद मुकदमें बाजी कर रहा है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत ने यह स्पष्ट मानते हुए कि परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 11.1.2016 में कोई विधिक त्रुटी नहीं की है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.9.2016 से अपील अपीलान्ट खारिज की गई है। अतः अपील अपीलान्ट बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जावे व अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.01.2016 व 15.09.2016 को यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना शेष है। इसके अलावा भी विवादित भूमि अपीलान्ट स्थगन आदेशों की प्रतियां भी अदालत मातहत व अदालत हाजा में प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलाधीन निर्णय रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के साथ–साथ अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.01.2016 व 15.09.2016 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का उसरानी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध खसरा नंबर 684 रकबा 0.61 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मरघट के 0.02 भूमि पर कब्जा कड़वी व नींव खोदकर अतिक्रमण किए जाने की रिपोर्ट दिनांक 28.12.2015 को तहसीलदार कुम्हेर के समक्ष प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के पीछे खसरा नंबर 684 का नजरी नक्शा बनाकर अपीलान्ट की ओर से किए गए अतिक्रमण को अलग से दर्शाया गया। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार कुम्हेर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना में अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए व नोटिस जवाब पेश किया गया। इसके साथ विभिन्न दस्तावेजात संलग्न किए गए। विवादित भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा दिनांक 26.12.2015 तथा 04.01.2016 को बनाया गया, जो कि तहसीलदार कुम्हेर की अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में संलग्न है। इसी पत्रावली में सरपंच ग्राम पंचायत थैरावर की ओर से उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को प्रेषित पत्र दिनांक 07.01.2016 जो कि खसरा नंबर 684 रकबा 0.61 हैक्टेयर पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए है, संलग्न है। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.01.2016 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जिसमें विवादित आराजी गैर मुमकिन मरघट होने व इस भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किए जा सकने के आधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किए जाने के आदेश पारित किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें अदालत मातहत में प्रस्तुत किए गए रिकार्ड व तथ्यों का हवाला देते हुए विवादित भूमि उनकी खातेदारी में होने तथा भू प्रबंध विभाग द्वारा गलत रूप से किस्म गैर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

मुमकिन मरघट दर्ज किए जाने के आधार पर अपील को स्वीकार किए जाने तथा अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किए जाने की इस्तदुआ की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.09.2016 को पारित कर अपील खारिज की है। उक्त दोनों निर्णयों में किसी तरह की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि तहसीलदार कुम्हेर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जो कार्यवाही की गई है, वह कार्यवाही पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के खसरा नंबर 684 रकबा 0.61 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मरघट की 0.02 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा कड़वी व नींव खोदकर अतिक्रमण किए जाने की रिपोर्ट की गई है। इस रिपोर्ट के साथ खसरा परिवर्तनशील की रिपोर्ट भी संलग्न की गई है। सरपंच ग्राम पंचायत थैरावर की ओर से उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को खसरा नंबर 684 किस्म गैर मुमकिन शमशान में हुए अतिक्रमण को हटाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अर्थात् जिस भूमि के संबंध में अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, उस भूमि की किस्म गैर मुमकिन शमशान दर्ज है जो कि सिवायचक भूमि की श्रेणी में आती है तथा सिवायचक भूमि पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। इसलिए वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि तहसीलदार कुम्हेर द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, सारहीन हो जाता है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित यह तथ्य की विवादित खसरा नंबर अपीलान्ट के पूर्वजों की खातेदारी में स्थित भूमि जिसकी किस्म आबादी है, से बना है तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि की किस्म बिना किसी अधिकार के गैर मुमकिन मरघट दर्ज की गई है, के संबंध में स्वयं वकील अपीलान्ट ने यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि के संबंध में राजस्व व सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है, परन्तु यह स्पष्ट कर पाने में असमर्थ रहे हैं कि जिस जगह के संबंध में अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा कार्यवाही की गई है। वह भूमि अपीलान्ट के पूर्वजों की खातेदारी में व आबादी में दर्ज थी। वकील अपीलान्ट की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 684 रकबा 0.61 एयर साविक खसरा नंबर 1294 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नंबर 1295 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा से बना है तथा साविक खसरा नंबर 1295 रकबा 1 बीघा 74 बिस्वा किस्म श्मशान भूमि के रूप में दर्ज है। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि हाल खसरा नंबर 684 केवल अपीलान्ट के पूर्वजों की खातेदारी में स्थित खसरा नंबर 1294 से ही बना है, सारहीन हो जाता है। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.01.2016 उनके समक्ष प्रस्तुत हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पारित किया गया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.09.2016 अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद विस्तृत व स्पीकिंग निर्णय पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

26.6.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 11.01.2016 व अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.09.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर